न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 46 / 2022

1–ठाकुरदास पुत्र छोटेलाल जाति कुशवाह निवासी मेहरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
...............वादी

बनाम

1–कप्तानसिंह 2–किशनसिंह 3–शंकरसिंह पुत्रगण छोटेलाल जातिगण कुशवाह निवासीगण मेहरा तहसील सैपऊ 4–जगदीशपुत्र वेदरिया जाति कुशवाह निवासी मेहरा 5–विजेन्द्रसिंह पुत्र वेदरिया जाति कुशवाह निवासी मेहरा 6–विमलेश पत्नी राधेश्याम जाति कुशवाह निवासी बल्देव का पुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर 7–लीलावती पत्नी बाबूलाल जाति कुशवाह निवासी मेहरा 8–विजयसिंह 9–निरोती पुत्रगण बाबूलाल जातिगण कुशवाह निवासीगण मेहरा 10–बत्तो पत्नी स्व0 चन्दनसिंह 11–राजवीर 12–हरिविलास 13–वेदप्रकाश 14–पप्पू 15–ल्होरा पुत्रगण स्व0 चन्दनसिंह जातिगण कुशवाह निवासीगण मेहरा 16–ओमवती पुत्री छोटे जाति कुशवाह निवासी मेहरा 17–नारायन पुत्र दयाराम जाति कुशवाह निवासी मेहरा 18–मुन्नीदेवी पत्नी विजयसिंह जाति कुशवाह निवासी मेहरा 19–नत्थो पुत्र वेदरिया जाति कुशवाह निवासी मेहरा तहसील सैपऊ ....प्रतिवादीगण

20–शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सन्तर रोड़ धौलपुर
20–शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक सरानी खेड़ा
21–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ
.......तरतीवी प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सैपऊ ★

दावा बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति – 1–श्री हजरत खां एडवोकेट ....(वादी)
2–श्री गिरीश व्यास एडवोकेट.........(प्रतिवादी संख्या–1, 2, 4 लगायत 19)

निर्णय **दिनांक 13.10.2022**

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खाता संख्या 11 के खसरा नम्बर 71 रकवा 1.2645 हैक्टेयर वाकेग्राम मेहरा पटवार हल्का पुरैनी एवं खाता संख्या 113 के खसरा नम्बर 51, 52, 53, 54 किता 4 रकवा 2.0612 हैक्टेयर वाकेग्राम मेहरा पटवार हल्का पुरैनी तहसील सैपऊ का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 लगायत 19 की ओर से श्री गिरीश व्यास एडवोकेट उपस्थित हुये एवं गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 06.07.2022 को दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड में दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांकःराजस्व/2022/562 दिनांक 10.10.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। विद्वान वादी एवं प्रतिवादीगण अभिभाषकगण को सुना गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम मेहरा पटवार हल्का पुरैनी तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–ठाकुरदास पुत्र छोटे जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी.शाखा पचगांव।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	71/3	0.1581	बारानी चतुर्थ
2–	53/2	0.1502	बारानी चतुर्थ
योग	किता–2	रकवा– 0.3083 हैक्टेयर	

2–कप्तानसिंह पुत्र छोटे जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	71/2	0.1580	बारानी चतुर्थ
2–	53/3	0.1502	बारानी चतुर्थ
योग	किता–2	रकवा–0.3082 हैक्टेयर	

3–किशनसिंह पुत्र छोटे जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार खसरा नम्बर 71/5 राहिन पी.एन.बी खेड़ा मुदे.।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	71/5	0.1581	बारानी चतुर्थ
2–	52/2	0.1502	बारानी चतुर्थ
योग	किता–2	रकवा–0.3083 हैक्टेयर	

4–शंकरसिंह पुत्र छोटे जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	71/4	0.1581	बारानी चतुर्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

2–	52/1	0.1502	बारानी चतुर्थ

योग किता–2 रकवा–0.3083 हैक्टेयर

5–ओमवती पुत्री छोटे जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	53/1	0.0069	बारानी चतुर्थ
2–	52/4	0.0790	बारानी चतुर्थ

योग किता– 2 रकवा–0.0859 हैक्टे0

6–बत्तो पत्नी स्व0 चन्दन, राजवीर, हरिविलास, वेदप्रकाश, पप्पू, ल्होरे पुत्रान चन्दन, गुड्डी, रूमा पुत्रीयान पिसरान चन्दन हि0ब0 1/4 जगदीश, विजेन्द्रसिंह पुत्रान पिसरान वेदरिया हि0ब0 1/2 लीलावती पत्नी स्व0 बाबूलाल, विजयसिंह, निरोती पुत्रान बाबूलाल हि0ब0 1/20 सा0देह विमलेश पत्नी रोधश्याम हि0 1/5 जातिगण कुशवाह सा0 बल्देव का पुरा तहसील बसेड़ी खातेदार। बत्तो बगैरा पिसरान चन्दन हिस्सा 1/4 जगदीश हि0 1/4 विजेन्द्र हि0 1/4 राहिन पी.एन.बी. शाखा खेडा मुतें।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	71/1	0.6322	बारानी चतुर्थ

योग किता– 1 रकवा–0.6322 हैक्टे0

7–बत्तो पत्नी स्व0 चन्दन, राजवीर, हरिविलास, वेदप्रकाश, पप्पू, ल्होरे पुत्रान चन्दन, गुड्डी, रूमा पुत्रीयान पि0 चन्दन हि0ब0 1375/13745, जगदीश, विजेन्द्रसिंह पुत्रान नत्थो पुत्री पिसरान बेदरिया हि0ब0 4125/13745 नारायनसिंह पुत्र दयाराम हि0ब0 1374/2749 लीलावती पत्नी स्व0 बाबूलाल, विजयसिंह, निरोती पुत्रान बाबूलाल हि0 110/13745 मुन्नीदेवी पत्नी विजयसिंह हि0 253/2749 जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार राहिन बत्तो बगैरा पिसरान चन्दन हिस्सा 1374/13745 जगदीश, विजेन्द्र पिसरान बेदरिया हि0ब0 2748/13745 राहिन पी.एन.बी. शाखा खेड़ा नारायनसिंह हि0 1374/2749 राहिन एस0बी0आई0 शाखा सन्तर रोड़ धौलपुर मुतै0।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	52/3	0.3793	बारानी चतुर्थ
2–	53/4	0.1100	बारानी चतुर्थ
3–	51	0.4932	बारानी चतुर्थ
4–	54	0.3920	बारानी चतुर्थ

योग किता– 4 रकवा–1.3745 हैक्टे0

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सैंपऊ ★

उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ
सैंपऊ

राजस्थान–सरकार

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उप जिला कलक्टर सैंपऊ
व इजलास –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 46 / 2022

1–ठाकुरदास पुत्र छोटेलाल जाति कुशवाह निवासी मेहरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
..............वादी

बनाम

1–कप्तानसिंह 2–किशनसिंह 3–शंकरसिंह पुत्रगण छोटेलाल जातिगण कुशवाह निवासीगण मेहरा तहसील सैपऊ 4–जगदीशपुत्र वेदरिया जाति कुशवाह निवासी मेहरा 5–विजेन्द्रसिंह पुत्र वेदरिया जाति कुशवाह निवासी मेहरा 6–विमलेश पत्नी राधेश्याम जाति कुशवाह निवासी बल्देव का पुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर 7–लीलावती पत्नी बाबूलाल जाति कुशवाह निवासी मेहरा 8–विजयसिंह 9–निरोती पुत्रगण बाबूलाल जातिगण कुशवाह निवासीगण मेहरा 10–बत्तो पत्नी स्व0 चन्दनसिंह 11–राजवीर 12–हरिविलास 13–वेदप्रकाश 14–पप्पू 15–ल्होरा पुत्रगण स्व0 चन्दनसिंह जातिगण कुशवाह निवासीगण मेहरा 16–ओमवती पुत्री छोटे जाति कुशवाह निवासी मेहरा 17–नारायन पुत्र दयाराम जाति कुशवाह निवासी मेहरा 18–मुन्नीदेवी पत्नी विजयसिंह जाति कुशवाह निवासी मेहरा 19–नत्थो पुत्र वेदरिया जाति कुशवाह निवासी मेहरा
................प्रतिवादीगण
तहसील सैपऊ

20–शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सन्तर रोड़ धौलपुर
20–शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक सरानी खेड़ा
21–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ
................तरतीवी प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

दावां बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री हजरत खां एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री गिरीश व्यास (प्रतिवादी संख्या–1, 2, 4 लगायत 19) को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। कि दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम मेहरा पटवार हल्का पुरैनी तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–ठाकुरदास पुत्र छोटे जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी.शाखा पचगांव।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	71/3	0.1581	बारानी चतुर्थ
2–	53/2	0.1502	बारानी चतुर्थ
योग	किता–2	रकवा– 0.3083 हैक्टेयर	

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

...ानसिंह पुत्र छोटे जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	71/2	0.1580	बारानी चतुर्थ
2–	53/3	0.1502	बारानी चतुर्थ

योग किता–2 रकवा–0.3082 हैक्टेयर

3–किशनसिंह पुत्र छोटे जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार खसरा नम्बर 71/5 राहिन पी.एन.बी खेड़ा मुदे.।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	71/5	0.1581	बारानी चतुर्थ
2–	52/2	0.1502	बारानी चतुर्थ

योग किता–2 रकवा–0.3083 हैक्टेयर

4–शंकरसिंह पुत्र छोटे जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	71/4	0.1581	बारानी चतुर्थ
2–	52/1	0.1502	बारानी चतुर्थ

योग किता–2 रकवा–0.3083 हैक्टेयर

5–ओमवती पुत्री छोटे जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	53/1	0.0069	बारानी चतुर्थ
2–	52/4	0.0790	बारानी चतुर्थ

योग किता– 2 रकवा–0.0859 हैक्टे0

6–बत्तो पत्नी स्व0 चन्दन, राजवीर, हरिविलास, वेदप्रकाश, पप्पू, ल्होरे पुत्रान चन्दन, गुड्डी, रूमा पुत्रीयान पिसरान चन्दन हि0ब0 1/4 जगदीश, विजेन्द्रसिंह पुत्रान पिसरान वेदरिया हि0ब0 1/2 लीलावती पत्नी स्व0 बाबूलाल, विजयसिंह, निरोती पुत्रान बाबूलाल हि0ब0 1/20 सा0देह विमलेश पत्नी रोधश्याम हि0 1/5 जातिगण कुंशवाह सा0 बल्देव का पुरा तहसील बसेड़ी खातेदार। बत्तो बगैरा पिसरान चन्दन हिस्सा 1/4 जगदीश हि0 1/4 विजेन्द्र हि0 1/4 राहिन पी.एन.बी. शाखा खेडा मुतें।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1–	71/1	0.6322	बारानी चतुर्थ

योग किता– 1 रकवा–0.6322 हैक्टे0

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

तो पत्नी स्व0 चन्दन, राजवीर, हरिविलास, वेदप्रकाश, पप्पू, लोरे पुत्रान चन्दन, गुड्डी, पुत्रीयान पि0 चन्दन हि0ब0 1375/13745, जगदीश, विजेन्द्रसिंह पुत्रान नत्थो पुत्री सरान बेदरिया हि0ब0 4125/13745 नारायनसिंह पुत्र दयाराम हि0ब0 1374/2749 लीलावती पत्नी स्व0 बाबूलाल, विजयसिंह, निरोती पुत्रान बाबूलाल हि0 110/13745 मुन्नीदेवी पत्नी विजयसिंह हि0 253/2749 जाति कुशवाह सा0 देह खातेदार राहिन बत्तो बगैरा पिसरान चन्दन हिस्सा 1374/13745 जगदीश, विजेन्द्र पिसरान बेदरिया हि0ब0 2748/13745 राहिन पी.एन.बी. शाखा खेड़ा नारायनसिंह हि0 1374/2749 राहिन एस0बी0आई0 शाखा सन्तर रोड धौलपुर मुतै0।

क्र0सं0	ख0नं0	रकबा	किस्म
1–	52/3	0.3793	बारानी चतुर्थ
2–	53/4	0.1100	बारानी चतुर्थ
3–	51	0.4932	बारानी चतुर्थ
4–	54	0.3920	बारानी चतुर्थ
योग	किता– 4	रकबा–1.3745 हैक्टे0	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। एवं उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर मस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

आज बशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.10.2022 को जारी की गई।

(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ